(xv) : Need to protect the interests of employees of 'Unit Run Canteens' of Armed Forces

श्री बालेश्वर यादव (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक सेवा शर्तो के अनुसार कैंटीन सुविधा पैंते हैं। इसके ा।लए देश में करीब चार हजार कैंटीनें हैं, जो यूनिट-रन कैंटीनों के नाम से जानी जाती हैं। इनमें लगभग दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं।

भारत सरकार का कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट बाजार से थोक में समान खराòदता है और इसे रिटेल में, ऐसे कार्मिकों को बेचने के ा।लए इन यू.आर.सी. कैंटीनों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार यू.आर.सी. कैंटीन प्रतिवर्ष करीब रू0 400 करोड़ का लाभ् अर्जित कर रही है। जिस पर केन्द्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी सरकारी हैं और यू.आर.सी. के कर्मचारी ऐसी सुविधा से वंचित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चार साल पहले अपने एक निर्णय में इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ?nB जाने की बैंत स्वीकार की थी, परंतु सरकार इस मामले में अपने को असहाय महसूस कर रही है। अतः सरकार को यू.आर.सी. कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।